भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2099

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए आयुष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना

2099. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के जनजाति बहुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर गुजरात के दाहोद जिले में, नए आयुष मेडिकल कॉलेजों और आयुष अस्पतालों की स्थापना करने और मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दाहोद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, गुजरात के दाहोद जिले सहित देश के आदिवासी बहुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नए आयुष मेडिकल कॉलेजों, आयुष अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का उन्नयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा स्वतंत्र सरकारी आयुष अस्पतालों की अवसंरचना का उन्नयन, मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों की अवसंरचना का उन्नयन और मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम(आयुष)] का संचालन करने का प्रावधान है। एनएएम के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नए आयुष कॉलेजों, एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों के उन्नयन, मौजूदा सरकारी/ पंचायत/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार एएएम (आयुष) के संचालन के लिए आवंटित/जारी की गई निधियां और उपयोग की स्थिति की जानकारी **संलग्नक** में दी गई है।

(ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए दाहोद संसदीय क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि, एनएएम के तहत, 50/30/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल बनाने और

अतिविशिष्ट एकल आयुष अस्पताल को उन्नत करने के कार्यों में आयुष डॉक्टरों को संविदा पर रखने का प्रावधान है। गुजरात समेत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एसएपी के माध्यम से उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवंटित/जारी तथा उपयोग की गई निधियों की स्थिति

(i) नये आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**संस्थानों का नाम**	**आवंटित/जारी**	**उपयोग की गई**
1	चंडीगढ़	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, पॉकेट नंबर 8, मणि माजरा	0.90	0.35
2	जम्मू और कश्मीर	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, राख होशियारी, कठुआ,	180.27	115.24
3	मध्य प्रदेश	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, शहडोल	840.00	840.00
		राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, नर्मदापुरम	845.26	845.26
		राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बालाघाट	720.00	720.00
		राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, मुरैना	780.00	780.00
		राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सागर	720.00	720.00
		राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, झाबुआ	150.00	150.00
4	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूजी कॉलेज, चाकसू, जयपुर	298.70	298.70
5	उत्तर प्रदेश	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, वाराणसी	1080.00	1080.00
6	तमिलनाडु	राजकीय सिद्ध कॉलेज और अस्पताल, पलानी, डिंडीगुल	240.00	240.00
7	त्रिपुरा	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पश्चिम त्रिपुरा	9.13	9.13
8	उत्तराखंड	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, देहरादून	2654.54	2654.54
कुल			**8518.8**	**8453.22**

(ii) एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्थान (जिला)	बिस्तरों की संख्या	आवंटित/जारी	उपयोग की गई
1	अरुणाचल प्रदेश	यिंगकिओंग (ऊपरी सियांग)	10	527.55	527.55
		सेप्पा (पूर्वी कामेंग)	10	477.00	477.00
		ज़ीरो (निचली सुबनसिरी)	10	207.00	207.00
2	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	10	60.00	0.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	सिल्वासा	50	1500.00	1500.00
4	गुजरात	अटकोट	30	360.00	180.00
5	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला (कांगड़ा)	50	450.00	450.00
6	जम्मू और कश्मीर	गाड़ीगढ़	10	90.00	90.00
		बंदी पाईन	10	112.50	112.50
7	केरल	वायनाड	30	75.00	69.00
		इडुक्की	30	75.00	69.00
		अरनमुला, रन्नी, पथानामथिट्टा	30	21.00	15.00
		वर्कला	50	135.00	129.00
		कप्पुकाडु, तिरुवनंतपुरम	50	22.50	16.50
8	महाराष्ट्र	धाराशिव, (उस्मानाबाद)	50	249.92	156.25
		जलगांव	30	248.52	114.09
		जालना	50	393.36	271.64
		थाइन	50	271.72	5.98
		नागपुर	50	216.82	175.20
		गोंदिया	50	112.50	0.00
		छत्रपति संभाजी नगर	50	112.50	0.00
		बुलढ़ाना	50	112.50	0.00
		गडचिरोली	30	78.75	0.00
		वर्धा	30	78.75	0.00
9	मध्य प्रदेश	बड़वानी	30	195.00	120.00
		सुजलपुर	50	240.00	240.00
		श्योपुर	50	240.00	240.00
		उज्जैन	50	120.00	120.00
		खजुराहो (छतरपुर)	50	120.00	120.00
		ओरछा (निवाड़ी)	10	15.00	15.00
		चंदेरी (अशोक नगर)	10	15.00	15.00
		दतिया	10	15.00	15.00
10	मेघालय	मूकिन्दुर जोवाई, (पश्चिम जैंतिया हिल्स जिला)	30	315.00	236.25
		अम्पाती, (दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिला)	10	135.00	135.00

11	नागालैंड	किफायर	30	33.75	27.67
		तिज़ित	30	13.50	11.00
		अकुहैतो, ज़ुन्हेबोटो	30	13.50	11.33
12	पुदुचेरी	कराईकल	30	180.00	60.00
13	राजस्थान	दूदू जयपुर	30	179.22	179.22
		बूंदी	30	85.54	85.54
		सवाईमाधोपुर	50	383.54	83.54
		भरतपुर	50	341.40	41.40
		किठाना	30	150.00	0.00
		भीलवाड़ा (आसींद)	10	27.00	5.91
		भीलवाड़ा (बिजोलिया)	10	27.00	10.18
		करौली (मंडरायल)	10	27.00	6.14
		अलवर (बहरोड़)	10	64.36	56.56
		अलवर (नीमराना)	10	55.47	28.47
		जोधपुर (शेखला)	10	45.69	28.98
		दौसा (नांगल राजा वतन)	10	36.66	20.86
		जयपुर - क (पावटा)	10	52.20	45.60
		सीकर (धोद)	10	59.26	53.42
		सीकर (श्रीमाधोपुर)	10	41.58	40.36
		बाड़मेर (गिदा)	10	27.00	18.60
		जालोर (बगोड़ा)	10	39.96	27.96
		बारां (किशनगंज)	10	37.66	25.54
		झालावाड़ (बकानी)	10	37.69	25.96
		कोटा (सुल्तानपुर)	10	43.68	30.18
		पाली (रोहट)	10	36.87	9.87
		अजमेर (मसूदा)	10	27.00	15.13
		अजमेर (पीसांगन)	10	27.00	24.27
		धौलपुर (सैपऊ)	10	27.00	10.19
		भरतपुर (सीवर)	10	27.00	7.42
		नागौर (खींवसर)	10	27.00	11.68
		श्री गंगानगर (राय सिंह नगर)	10	27.00	10.90
		डूंगरपुर (दोवड़ा)	10	34.83	22.83
		प्रतापगढ़ (अरनोद)	10	34.53	22.53
		अजमेर (सरवाड़)	10	23.28	23.28
		अलवर (रामगढ़)	10	7.37	7.37
		बाड़मेर (कल्याणपुर)	10	17.95	17.95
		बाड़मेर(बाड़मेर ग्रामीण)	10	7.79	7.79
		बाड़मेर (पनयला कलां)	10	16.17	16.17
		भीलवाड़ा (करेड़ा)	10	1.69	1.69
		डूंगरपुर (गलियाकोट)	10	10.92	10.92
		झुंझुनू (अलसीसर)	10	8.19	8.19
		झुंझुनू (बुहाना)	10	9.57	9.57

		जोधपुर (पीपड़ शहर)	10	21.95	21.95
		जोधपुर (चामू)	10	8.74	8.74
		करौली (मासलपुर)	10	17.65	17.65
		सीकर (अजीतगढ़)	10	20.22	20.22
		टोंक(पिपलू)	10	19.31	19.31
		उदयपुर (जयसमंद)	10	31.68	31.68
14	सिक्किम	गंगटोक	30	81.80	81.80
15	तमिलनाडु	नमक्कल	50	150.00	150.00
		एएजीएचआईएम परिसर, चेन्नई	50	660.00	660.00
		कोट्टार, नागरकोइल	30	315.00	315.00
16	तेलंगाना	सिद्दीपेट	50	606.99	606.99
		विकाराबाद	50	606.99	606.99
		जयशंकर, भूपालपल्ली	50	606.99	606.99
		करीमनगर	50	450.00	450.00
कुल				**13369.03**	**10581.45**

(iii) आयुष अस्पतालों और आयुष औषधालयों के उन्नयन की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आयुष अस्पतालों का उन्नयन			आयुष औषधालयों का उन्नयन		
		इकाई	आवंटित/जारी	उपयोग की गई	इकाइयां	आवंटित/जारी	उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	4	213.60	0.00	90	589.63	589.63
2.	असम	2	33.75	0.00	0	0.00	0.00
3.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	3	15.00	0.00
4.	छत्तीसगढ	20	367.50	259.50	553	1021.11	598.34
5.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	1	25.00	0.00	0	0.00	0.00
6.	गुजरात	11	152.31	86.91	102	973.13	234.00
7.	हिमाचल प्रदेश	34	515.95	201.83	469	587.68	457.72
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	22	374.19	351.20
9.	झारखंड	10	46.33	46.33	0	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	28	208.91	124.48	98	590.43	276.00
11.	केरल	250	1593.09	521.20	373	608.09	237.71
12.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	30	450.00	450.00
13.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	6	23.10	5.10
14.	नागालैंड	0	0.00	0.00	1	20.25	13.50
15.	पंजाब	0	0.00	0.00	240	6.00	0.00
16.	राजस्थान	165	334.52	263.24	2594	1250.27	834.25
17.	सिक्किम	1	10.53	10.53	0	0.00	0.00
18.	तेलंगाना	7	104.65	104.65	0	0.00	0.00
19.	त्रिपुरा	3	97.20	36.00	0	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	1021	3072.27	2941.77
21.	उत्तराखंड	13	49.39	49.39	314	406.51	398.20
22.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	188	1069.65	772.71
कुल		**549**	**3752.74**	**1704.06**	**6104**	**11057.29**	**8160.11**

(iv) आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**एएएम (आयुष) की संख्या**	**आवंटित/जारी**	**उपयोग की गई**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	126.18	126.18
2.	आंध्र प्रदेश	126	438.01	438.01
3.	अरुणाचल प्रदेश	89	6058.96	6058.96
4.	असम	500	5927.38	4929.46
5.	बिहार	294	451.80	327.66
6.	चंडीगढ़	12	2.60	0.14
7.	छत्तीसगढ़	400	2336.26	1709.61
8.	दादरा नगर हवेली और दमन व दीव	1	12.48	8.05
9.	गोवा	100	565.97	565.97
10.	गुजरात	365	744.72	744.72
11.	हरियाणा	538	2449.42	1316.92
12.	हिमाचल प्रदेश	761	4995.08	4644.82
13.	जम्मू और कश्मीर	523	3240.33	1708.34
14.	झारखंड	745	5185.04	4708.65
15.	कर्नाटक	376	1640.60	1475.30
16.	केरल	700	3579.66	2962.15
17.	लक्षद्वीप	7	50.97	50.97
18.	मध्य प्रदेश	800	5750.38	5618.49
19.	महाराष्ट्र	390	2902.96	1851.83
20.	मणिपुर	15	28.86	18.33
21.	मेघालय	24	328.14	307.56
22.	मिजोरम	41	1003.30	997.51
23.	नगालैंड	49	710.66	710.66
24.	**ओडिशा**	422	**3231.51**	**1657.37**
25.	पुदुचेरी	4	20.88	7.83
26.	पंजाब	158	608.17	333.72
27.	राजस्थान	2019	12192.43	11075.05
28.	सिक्किम	18	45.36	45.36
29.	तमिलनाडु	650	3620.64	3219.39
30.	तेलंगाना	421	1068.42	771.25
31.	त्रिपुरा	72	630.62	484.10
32.	उत्तर प्रदेश	1034	992.84	992.84
33.	उत्तराखंड	300	2184.48	2177.49
34.	पश्चिम बंगाल	540	2996.77	1945.23
	कुल	**12500**	**76121.90**	**63989.93**